

मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन  
(माह जनवरी, 2008 से जनवरी, 2012 तक की अवधि में)  
विभाग का नाम – राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क0	विभाग का नाम	मंत्रिपरिषद् आदेश का दिनांक	मंत्रिपरिषद् आदेश का विवरण	मंत्रिपरिषद् आदेश के परिपालन में विभागीय आदेश की तिथि	विभागीय आदेश के क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	24/01/08	पट्टा रतनजोत/करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित इकाई हेतु शासकीय भूमि नियम 2006 में संशोधन बाबत । निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-59/सात/06 दिनांक 1.9.06 द्वारा पट्टा (रतनजोत करंज वृक्षारोपण एवं बायोडीजल आधारित हेतु शासकीय भूमि ) नियम 2006 के नियम 6(1) में 20 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाए।	अधिसूचना क्रमांक 4-12/07/ दिनांक 12.3.2008	कार्यवाही पूर्ण	
2		24/01/08	प्रेस क्लब हेतु भूमि आबंटन राजनांदगांव । निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 28.9.07 द्वारा आवेदक संस्था को राजनांदगांव ग्राम लखोली स्थित शासकीय नजूल भूमि ख0नं0 134 का भाग रकबा 0.263 हे0 में से 5220 वर्गफीट भूमि वर्ष 2007-08 की गार्ड लाईन के अनुसार एवं राजस्व पुस्तक परि0 खण्ड चार-1 के पावधान के अनुसार प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर आबंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया जाकर तत्समय प्रचलित गार्ड लाईन के 10 प्रतिशत प्रब्याजि राशि एवं तदानुसार 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाय। शेष शर्तों यथावत रहेंगी।	आदेश क्रमांक एफ4-77/सात-1/06 08.02.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
3		26०2६08	<p>पं० रविशंकर शुक्ल हास्पिटल बूढापारा रायपुर को भूमि आबंटन ।पं० रविशंकर शुक्ल हास्पिटल बुढापारा को भूमि आबंटन</p> <p>निर्णय लिया गया कि पं० रविशंकर हास्पिटल बुढापारा रायपुर को भूमि आबंटन के संबंध में विभाग द्वारा जारी आबंटन आदेश दि० 9.10.07 को संशोधित किया जाकर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तत्समय की प्रदत्त गार्डेड लाईन दर की 10.पतिशत पब्याजि एवं तदनुसार भू-भाटक लेकर आबंटित की जाय:-</p> <p>1. संस्था द्वारा 3 वर्ष के भीतर हास्पिटल चालू करना अनिवार्य होगा अन्यथा आबंटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा ।</p> <p>2 गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे मरीज जिन्हें संचालक चिकित्सा द्वारा संदर्भित किया गया हो के लिए कुल बेड संख्या के 5 प्रश बेड का आरक्षण करना तथा कन्सलटेन्सी फीस सर्विस चार्जस बेड चार्जस निशुल्क रखते हुए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।</p> <p>3 संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा संदर्भित बी पी एल मरीजों को प्रति दूसरे दिन दो धन्टा निःशुल्क ओ पी डी कन्सटेशन सेवा देना अनिवार्य होगा । आवटन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।</p>	आदेश क्रमांक एफ 4-125/सात-1/07 दि० 14.3.08	कार्यवाही पूर्ण	
4		31०3६08	<p>रायपुर, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभागों का सृजन, संभागीय आयुक्त के चार पदों का निर्माण एवं भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र० 20 सन् 1959) में संशोधन किये जाने बाबत् ।</p> <p>निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राज्य में 4 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर तथा सरगुजा संभाग प्रारंभ करने हेतु अधिसूचना जारी करने के दिनांक से स्वीकृति प्रदान की जाये ।</p> <p>2. उक्त संभागों में संभागायुक्त के चार पद वेतनमान रूपये 18400-22400 में सृजित किया जाये ।</p>	अधिसूचना क्र० 6-3/सात-3/08 दि० 14.4.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. विभागीय संक्षेपिका के साथ संलग्न छ0ग0 भू-राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश 2008 का अनुमोदन किया जाये तथा इसे प्राख्यापित करने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन किया जाये । विधान सभा के आगामी सत्र में इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने हेतु सभी अनुसांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत किया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त विभागों द्वारा संभागीय आयुक्त को दिये जाने वाले अधिकारों का प्रत्यायोजन संबंधी आदेश एक माह के भीतर जारी किये जाये”</p>			
5		05 <sup>02</sup> 2008	<p>संभागीय आयुक्त कार्यालय रायपुर, बस्तर एवं बिलासपुर व सरगुजा में एक-एक अपर आयुक्त राजस्व के पदों का सृजन बाबत् । निर्णय लिया गया कि रायपुर एवं बस्तर संभाग के लिये (1 मुख्यालय रायपुर तथा बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के लिये 1( मुख्यालय बिलासपुर ) के लिये अपर आयुक्त राजस्व जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान रू0 15100-400-18300 अथवा राज्य प्रशासनिक सेवा के रू0 16400-450-20000 के वेतनमान के अधिकारी पदस्थ किये जाएंगे के कुल 2 पद का सृजन किया जाए ।</p>	<p>एफ 2-32/सात-2/2008, दिनांक 12.06.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
6		05 <sup>प</sup> 02 <sup>प</sup> 2008	<p>बस्तर जिले में सीएसआईडीसी द्वारा वृहद इस्पात संयंत्र परियोजना के लिए किये जा रहे भू-अर्जन से प्रभावित कृषकों के लिए राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति में प्रावधान प्रतिकर व पुनर्वास सहायता दिये जाने के संबंध में ।</p> <p>निर्णय :- निर्णय लिया गया कि बस्तर जिले में वृहद इस्पात परियोजना की स्थापना हेतु सी एस आई डी सी के माध्यम से किये जा रहे भू-अर्जन से प्रभावित ऐसे कृषकों को जिनकी 75 प्रश से अधिक भूमि अधिगृहीत हो , अधिगृहीत भूमि की प्रतिकर तथा पुनर्वास नीति के तहत देय पुनर्वास सहायता की अतिरिक्त निम्नलिखित देने के पस्ताव का अनुमोदन किया जाए ।</p> <p>1क जिन कृषकों की अधिगृहीत भूमि का रकबा 1 एकड से कम हो उन्हें अन्यत्र उपलब्ध 1 एकड शासकीय भूमि का कृषि प्रयोजन हेतु निःशुल्क आबंटन ।</p> <p>ख जिन कृषकों की अधिगृहीत भूमि का रकबा 1 एकड तथा 2.47 एकड (1 हे0 ) के बीच हो रहे उन्हें अन्यत्र उपलब्ध अधिगृहीत रकबे के बराबर शासकीय भूमि का कृषि प्रयोजन हेतु निःशुल्क आबंटन ।</p>	<p>आदेश क्रमांक 6-15/सात-3/07 दिनांक 15.5.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
			<p>ग – जिन कृषकों की अधिगृहीत भूमि का रकबा 2.47 एकड़ (1 हे0)</p> <p>शासकीय भूमि उन्हें अन्यत्र उपलब्ध अधिकतम 2.47 एकड़ 1 हे</p> <p>शासकीय भूमि का कृषि प्रयोजन हेतु निःशुल्क आबंटन।</p> <p>ध यदि उपरोक्त (क/ख/ग) के मानदण्ड अनुसार आबंटन के लिये शासकीय उपलब्ध न हो तो भूमि आबंटन में सीमान्त एवं लघु कृषकों को प्राथमिकता दी जाए।</p> <p>2 उपरोक्त 1 क, 1 ख तथा 1 ग के तहत जिन कृषकों को अन्य ग्रामों में शासकीय कृषि भूमि का आबंटन किया जाए उन्हें संबंधित ग्राम में उपलब्ध शासकीय भूमि को आबादी घोषित कर 0.025 एकड़ भूखण्ड प्रति परिवार के मान से निःशुल्क आवासीय पट्टा देना।</p> <p>3 उपरोक्त 1 क 1ख 1ग तथा 2 के तहत कृषि /आवासीय प्रयोजन हेतु आबंटित की जाने वाली शासकीय भूमि का मूल्य वृहत इस्पात परियोजना से बाजार मूल्य पर प्राप्त की जाय।</p>			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>4 उपरोक्त 1कखग के अनुसार कृषि प्रयोजन हेतु आबंटित की जाने वाली शासकीय भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु हितग्राहियों को उनकी पात्रता अनुसार प्रचलित शासकीय योजनाओं के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाय।</p> <p>जिन हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं के तहत ऐसी सहायता प्राप्त करने की पात्रता नहो उन्हें भूमि विकास हेतु आर्थिक सहायता निवेशक से उपलब्ध कराने हेतु पहल की जाय।</p> <p>5 परियोजना के लिये अधिगृहीत की जाने वाली जिस शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिये गए हैं अधिगृहीत की जाने वाले ऐसी शासकीय भूमि के कब्जेदारों को उस वर्ष कीगईड लाईन दर पर जिस वर्ष निजी भूमि के संबंध में अवार्ड पारित किया गया है धनाशि का भुगतान निवेशक से कराने हेतु पहल की जाय।</p> <p>6 उपरोक्त अनुमोदित अतिरिक्त सहायता जिला पुनर्वास समिति की राय से देने के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाए।</p>			

1	2	3	4	5	6	7
7		05 <sup>प</sup> 02 <sup>प</sup> 2008	<p>ग्राम आमदी प0ह0नं0 19, खसरा नं0 01 एवं खसरा नं0 02 का टुकड़ा रकबा 70.14 हे0 भूमि पर आवासीय, व्यावसायिक, एवं शैक्षणिक भू-खण्डों का भिलाई इस्पात संयंत्र के आबंटतियों को शासन द्वारा आबंटन बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि स्कील आथिरिटी आफ इंडिया द्वारा नान कम्पनी हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत ग्राम आमदी की आमदीनगर हुडको फेस-1 योजना के तहत आबंटित भूमि उक्त योजना के आबंटितियों उनके वैधानिक वारिसों को आवासीय प्रयोजन की भूमि 01 रूपये प्रतिवर्गफुट की प्रब्याजि तथा 01 रूपये प्रतिवर्गफुट भू-भाटक पर तथ व्यवसायिक प्रयोजन की भूमि गाइडलाईन रेटे की 25 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर नियमानुसार देय भू-भाटक पर 30 वर्षीय पट्टे पर आबंटित की जाए ।</p>	<p>आदेश क्रमांक एफ 4-2/सात-1/08 दि0 6.9.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	
			<p>2. उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में उभय पक्ष की आपसी सहमति उपरांत उच्च न्यायालयध्यण में लंबित प्रकरण वापस लिया जाए और तत्पश्चात् पट्टे देने की कार्यवाही की जाए । 3. स्कील अथारिटी आफ इंडिया को यह हिदायत दी जाए कि राज्य शासन द्वारा भारत सरकार/भिलाई स्कील प्लांट के पक्ष में हस्तांतरित भूमि का उक्त भूमि के हस्तांतरण आदेश में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य शासनप की अनुमति के बिना उपयोग /हस्तांतरण न कियाजाए । 4. इस बाबत् समस्त कार्वाही के क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर, दुर्ग को अधिकृत किया जाए ।</p>			

1	2	3	4	5	6	7
8		22.05.08	<p>सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं एवं समाचार पत्रों को प्रेस स्थापित करने हेतु भूमि का आबंटन</p> <p>निर्णय:- निर्णय लिया गया कि समाचार पत्रों को प्रेस स्थापित करने के लिये निम्नानुसार भूमि आबंटन की पात्रता होगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>छोटे समाचार पत्रों को (5000 से 25000 तक प्रसारसंख्या) 5000 वर्गफुट तक – 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक</li> <li>मध्यम समाचार पत्रों को (25000 से 100000 तक प्रसार संख्या) 15000 वर्गफुट तक-10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक</li> <li>पूर्णत स्थापित समाचार पत्रों को 100000 से अधिक प्रसार संख्या ) 20000 वर्गफुट तक – 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक</li> </ol>	<p>आदेश क्रमांक एफ 4-179/सात-1/07 दि0 29.5.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	
			<p>2. प्रेस क्लब को निम्नानुसार भूमि आबंटन की पात्रता होगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>जिला मुख्यालय जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हैं – 5000 वर्गफुट तक – 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक</li> <li>जिला मुख्यालय जो नगर पालिका /नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत है –2500 वर्ग फुट तक 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक</li> <li>उपर्युक्त निर्णय ऐसे मामलों में लागू होगा जिनमें भूमि आबंटन के पश्चात् पट्टे का निष्पादन नहीं हुआ है ।</li> </ol>			

1	2	3	4	5	6	7
9		22.05.08	महासमुंद में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन :- निर्णय :- निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय रायपुर को महासमुन्द में प0ह0 नंबर 90 ग्राम भलेसर स्थित शासकीय भूमि , खसरा नंबर 1531/1 रकबा 25.75 हेक्टेयर में से 20 हेक्टेयर भूमि कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 1.00 रु0 शुल्क लेकर आबंटित की जाए। आबंटन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।	आदेश क्रमांक एफ 4-130/सात-1/05 दि0 29.5.08	कार्यवाही पूर्ण	
10		22.05.08	हितवाद समाचार पत्र को भूमि आबंटन के संबंध में । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि हितवाद समाचार पत्र रायपुर द्वारा आबंटित भूमि की प्रब्याजि के मद में जिला पंजीयक, रायपुर द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक जमा की गई राशि को आबंटिती द्वारा देय वार्षिक भू-भाटक के मद में समायोजित की जाए ।	आदेश क्रमांक 4-98/सात-1/03 दि0 29.5.08	कार्यवाही पूर्ण	
11		07 <sup>02</sup> 2008	मिथिला मण्डल जगदलपुर को हनुमान मंदिर, शंकर मंदिर सभागृह निर्माण हेतु स्थायी पट्टे पर भूमि का आबंटन । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 01.09.6 में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदक संस्था को तत्समय की गार्ड लाईन दर का 10 प्रतिशत का प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्र0 एफ 4-87/सात-1/06 दि0 04.07.08	कार्यवाही पूर्ण	
12		07 <sup>02</sup> 2008	भारतीय रेडक्रास सोसायटी रायपुर को भूमि आबंटन बाबत् । निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 27.9.07 में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदक संस्था को 10/- रु0 प्रति वर्गफुट की दर से प्रब्याजि तथा उस पर 1.पतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की जाय।	आदेश क्रमांक एफ4-109/सात-1/06 दि0 11.7.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
13		07 <sup>प</sup> 02 <sup>प</sup> 2008	भाजपा के शहर मण्डल कार्यालय बलौदाबाजार स्थित भूमि का आबंटन निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 25.07.06 में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदक संस्था को तत्समय की गार्ड लाईन दर का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की जाए ।	आदेश क्र0 4-80 / सात-1 / 06 दि0 11.7.08	कार्यवाही पूर्ण	
14		07 <sup>प</sup> 02 <sup>प</sup> 2008	सरस्वती शिशु मंदिर अम्बिकापुर को नजूल भूमि का आबंटन निर्णय :- निर्णय लिया गया कि सरस्वती शिशु मंदिर अम्बिकापुर को विद्यालय स्थापित करने हूतु इस विभाग के आदेश क्र0 4-79 / सात-1 / 05 एफ 4-79 / सात-1 / 05 दिनांक 14.7.08 में आंशिक संशोधन करते हुए गाम अम्बिकापुर को तत्समय की गार्ड लाईन दर का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की जाय ।	आदेश क्रमांक 4-79 / सात-1 / 05 दिनांक 14.7.08	कार्यवाही पूर्ण	
15		07 <sup>प</sup> 02 <sup>प</sup> 2008	नजूल भूमि आबंटन - भारतीय जनता पार्टी अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा:- निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 26.7.06 में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदक संस्था को तत्समय की गार्ड लाईन दर का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की जाय ।	आदेश क्र0 4-101 / सात-1 / 06 दि0 11.7.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
16		07 <sup>02</sup> 2008	छ0ग0 भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (क. 1 सन 2008) के स्थान पर विधेयक पुनः स्थापित किये जाने के संबंध में । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभागीय संक्षेपिका के साथ संलग्न छ0ग0 भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2008 का अनुमोदन किया जाए तथा इसे विधान सभा के आगामी सत्र में पुनः स्थापित करने हेतु सभी अनुशांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत किया जाए ।	आदेश क0 4-297 / सात-1 / 03 दि0 11.7.08	कार्यवाही पूर्ण	
17		07 <sup>03</sup> 2008	छ0ग0 किन्नर समाज को आवास एवं कार्यालय हेतु निःशुल्क भूमि आबंटन करने बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 08.03.2006 में आंशिक संशोधन करते हुए छ0ग0 किन्नर समाज को दो एकड़ भूमि के सीन पर केवल एक एकड़ भूमि रूप्ये 1 लाख रूप्ये प्रब्याजि एवं रूपये 5000.00 वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित. की जाये शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।	आदेश क0 4-124 / सात-1 / 05 दि0 2.8. 08	कार्यवाही पूर्ण	
18		27 <sup>08</sup> 08	ग्राम रूआबांधा / आमदी की भूमि छ0ग0 गृह निर्माण मण्डल दुर्ग को विनियम करने बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभागीय प्रस्तावनुसार कृषि विभाग की सममूल्य भूमि 78.08 एकड़ भिलाई इस्पात संयंत्र को एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि 78.08 एकड़ कृषि विभाग को अदला बदली करने की अनुमति प्रदान की जाए ।	आदेश क0 एफ 4-02 / सात-1 / 08 दि0 29.08.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
19		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	श्री दशा सोरठिया वणिक महाजन समाज समिति को भूमि का आबंटन करने बावत। निर्णय लिया गया कि श्री दशा सोरठिया वणिक महाजन समाज समिति रायपुर जिला रायपुर को इस विभाग के आदेश क्रमांक 4-120/ सात-1/08 दिनांक 24.1.08 में आंशिक संशोधन करते हुए संस्था के सामाजिक उत्थान विकास एवं धर्मशाला निर्माण हेतु ग्राम दलदल सिवनी प0ह0नं0 109 स्थित शासकीय भूमि खसरा नब 800 रकबा 0.405 हे0 भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्र0 4-120/ सात-1/08 दिनांक 20.9.08	कार्यवाही पूर्ण	
20		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	नजूल भूमि आबंटन आवेदक गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा राजनांदगांव:- निर्णय :- निर्णय लिया गया कि गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को इस विभाग के आदेश क्र0 एफ 4-98/सात-1/ 08 दिनांक 9.9.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए गुरुद्वारा भवन एवं होम्योपैथी चिकित्सालय हेतु मोहल्ला जमातपारा राजनांदगांव स्थित भूमि क्रमांक 232/3 रकबा 55,825 वर्गफुट में से 18,652 5 वर्गफुट भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।	आदेश क्र0 दि0 एफ 4-98/सात-1/08 दि0 22.9.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
21		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	<p>पूज्य सिंधी पंचायत टिकरापारा, रायपुर को मंदिर निर्माण हेतु भूमि आबंटन । निर्णय लिया गया कि पूज्य सिंधी पंचायत टिकरापारा रायपुर को पंचायत भवन एवं ।झुलेलाल मंदिर निर्माण हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ?-4-114/सात-01/07 दिनांक 26.07.08 में आंशिक संशोधन करते हुए टिकरापारा प.ह.नं. 114 स्थित शासकीय भूमि खसरा नं -72, एवं 73 का भाग रकबा 6000 वर्गफुट भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।</p>	<p>आदेश क्र0 एफ 4-114/सात-1/07 दि0 22.9.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	
22		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	<p>सरस्वती शिशु मंदिर अम्बिकापुर को नजूल भूमि का आबंटन निर्णय :- निर्णय लिया गया कि सरस्वती शिशु मंदिर अम्बिकापुर को विद्यालय स्थापित करने हेतु इस विभाग के आदेश क्र0 4-79/सात-1/05 एफ 4-79/सात-1/05 दिनांक 14.7.08 में आंशिक संशोधन करते हुए गाम अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि ख0नं0 510/1 में से 1.18 एकड भूमि 10 /- (दस रूपये) प्रति वर्गफुट की दर से प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाएं ।</p>	<p>आदेश क्रमांक एफ 4-79/सात-1/05 दि0 14.7.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
23		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	ग्राम पोटियाकला की शासकीय भूमि के0डी0 पब्लिक स्कूल मीनाक्षी नगर दुर्ग को आबंटित करने बाबत । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि के.डी. पब्लिक स्कूल मीनाक्षी नगर, बोरसी रोड दुर्ग जिला दुर्ग को इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-191/सात-1/05 दिनांक 25.08.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्रामअम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नं 1501/1 में से 1.18 एकड़ भूमि 10/- प्रतिवर्गफुट की दर से प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाय ।	आदेश क्र0 एफ 4-191 /सात-1/दि0 22.9.08	कार्यवाही पूर्ण	
24		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	नजूल भूमि आबंटन - भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आरंग, जिला रायपुर निर्णय लिया गया कि भारतीय जानता पार्टी आरंग जिला रायपुर को राजस्व विभाग के आदेश क्र0 एफ 4-10/सात-1/07 दि0 19.06.07 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम आरंग प0ह0न0 42/60 तहसील आरंग स्थित भूमि खसरा नं 3582 रबा 2.85 हे0 में से 0.101 हे0 भूमि के स्थान पर केवल 10000 वर्गफुट भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्रमांक एफ 4-10/सात-1/07 दि0 22.9.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
25		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	नजूल भूमि आबंटन-आवेदक उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा बाबा श्री हरकेवल रास अम्बिकापुर जिला सरगुजा निर्णय :- निर्णय लिया गया कि उदासीन परमार्थ आश्रम को नमानाकला अम्बिकापुर स्थित शासकीय भूमि प्लाट नंबर 243/1 में से रकबा 3.75 एकड़ (1.22 एकड़ शैक्षणिक प्रयोजन तथा 2.53 एकड़ अन्य धार्मिक प्रयोजन हेतु) भूमि वर्ष 2008-09 की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए।	आदेश क्र० एफ 4-95/ सात-1/ 07 दि० 11.09.08	कार्यवाही पूर्ण	
26		09 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2008	पूज्य सिंधी संस्था बिलासपुर ग्राम तिफरा में भूमि आबंटन की मांग के संबंध में प्रतिवेदन। निर्णय लिया गया कि पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत बिलासपुर को इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-157/सात-1/07 दिनांक 02.08.08 में आंशिक संशोधन करते हुए मांगलिक भवन निर्माण हेतु जिला व तहसील बिलासपुर के ग्राम तिफरी प०ह०नं० 23 स्थित शासकीय भूमि, खसरा नं०-1416/1ग में 2 एकड़ भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये।	आदेश क्रमांक एफ-4-157/सात-1/07 दिनांक 22.09.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
27		27.09.08	नजूल भूमि आबंटन – भारतीय जनता पार्टी जिला रायगढ़ निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-126/सात-1/08 दि० 16.06.07 में आंशिक संशोधन करते हुए भाजपा जिला रायगढ़ को जिलास्तरीय कार्यालय भवन निर्माण हेतु रायगढ़ शहर स्थित नजूल शीट नं 32, प्लॉट नं 24 में से 7000 वर्गफुट भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्रमांक एफ 4-126/सात-1/08 दि० 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	
28		27.09.08	नजूल भूमि आबंटन – भारतीय जनता पार्टी जिला जांजगीर चांपा निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-20/सात-1/07 दि० 24.07.07 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला जांजगीर चांपा को कार्यालय भवन हेतु ग्राम खोखसा प.ह.न. 42 रकबा 0.45 एकड़ (19620 वर्गफुट) भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।	आदेश क्रमांक एफ 4-20/सात-1/07 दि० 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	
29		27.09.08	नजूल भूमि आबंटन-अध्यक्ष भोलेनाथ सेवा संस्थान रायपुर निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्र० 4-38/सात -1 / 07 दि० 15.06.07 में आंशिक संशोधन करते हुए भोलेनाथ सेवा संस्थान बुढ़ापारा रायपुर को बुढ़ापारा स्थित नजूल भूमि ब्लॉक नं 90 प्लॉट नं 24 का भाग रकबा 3922 वर्गफुट भूमि मंदिर निर्माण तथा धार्मिक कार्य के लिए तत्समय की गार्ड लाईन का 5 प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए	आदेश क्र० 4-38/सात -1 / 07 दि० 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
30		27.09.08	नजूल भूमि आबंटन-कामकाजी महिला हास्टल के निर्माण हेतु अध्यक्ष महिला मंच रायपुर छ0ग0 निर्णय :- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-118 /सात-1/07 दि0 15.6.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए छत्तीसगढ महिला मण्डल रोहणीपुर रायपुर को कामकाजी महिला हास्टल के निर्माण हेतु ग्राम डूमरतालाब जिला रायपुर स्थित शासकीय भूमि ख0नं0 491 रकबा 0251 हे0 में से 20,000 वर्गफुट भूमि तत्समय की गाईड लाईन का 10.पतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए।	आदेश क्रमांक एफ 4-118/सात-1/07 दिनांक 8.10.08	कार्यवाही पूर्ण	
31		27.09.08	स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स स्थित भूमि के बदले स्टेशन की भूमि आबंटन का प्रब्याजि एवं भू-भाटक निर्धारण बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि बुढापारा रायपुर स्थित कुल रकबा 14.989 वर्गफुट भूमि के स्थायी पट्टाधारी श्री ललित तिवारी आत्मज स्व0 श्यामचारण तिवारी को उक्त भूमि के बदले सिविल स्टेशन रायपुर स्थित कुल रकबा 5000 वर्गफुट भूमि के प्रब्याजि एवं भू-भाटक तथ स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क में छूट देने के संबंध में , सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक माह के भीतर योग्य निर्णय लेने हेतु मुख्य सचिव को अधिकृत किया जाए ।	आदेश क्र0 4-6/सात-1/08 दिनांक 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
32		27.09.08	<p>श्री बालकृष्ण सोयामे आ0 स्व0 लक्षण सोयामे श्रीमती तुषमा बाई पति श्री घनश्याम गोंड एवं श्री आकाश उर्फ खेमराज .. पिता श्री घनश्याम गोड की भूमियों का शासकीय भूमि के साथ अदला बदली (विनिमय )निर्णय :- निर्णय लिया गया कि कलेक्टर राजनांदगांव के प्रस्ताव अनुसार ग्राम कोटीटोला तहसील डोंगरगढ स्थित कुल 5.1.99 हे0 कृषि भूमि की ग्राम बजरंगपुर नवागांव तहसील एवं जिला राजनांदगांव में स्थित शासकीय भूमि कुल रकबा 2.629 हे0 से विशेष परिस्थिति में अदला -बदली करने की स्वीकृति दी जाती है। भविष्य में इसे उदाहरण नहीं माना जाएगा।</p>	<p>आदेश क्र0 एफ 4-38/सात-1/ 08 दि0 3.10.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	
33		27.09.08	<p>बिलासपुर सेवा भारती संस्था बिलासपुर द्वारा छात्रावास भवन निर्माण हेतु ग्राम तिफरा में भूमि आबंटन की मांग बाबत् प्रतिवेदन । निर्णय:- निर्णय लिया गयाकि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-164/सात-1/ 08 दिनांक 10.06.08 में आंशिक संशोधन करते हुए बिलासपुरसेवा भारती संस्था बिलासपुर ग्राम तिफरी प0ह0न0. 23, खसरा नं 1405/1 रकबा 12.82 एकड़ भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।</p>	<p>आदेश क्रमांक 4-164/सात-1/ 08 दिनांक 3.10.08</p>	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
34		27.09.08	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट बिलासपुर द्वारा वृद्धाश्रम निर्माण हेतु शासकीय भूमि की मांग बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्र0 4-151/ सात-1/07 दि. 02.07.08 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट बिलासपुर को वृद्धाश्रम निर्माण हेतु ग्राम लिंगियाडीह, प.ह.नं. 20 स्थित शासकीय भूमि खसरा नं 15/45 रकबा 1.50 एकड़ तत्समय की गाईड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।	आदेश क्र0 4-151/ सात-1/07 दि. 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	
35		27.09.08	नजूल भूमि आबंटन -बिलासपुर सेवा भरती संस्था बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-166/सात-1/ 08 दिनांक 10.06 08 में आंशिक संशोधन करते हुए बिलासपुर सेवाभारती संस्थान मोहल्ला चांटापारा स्थित नजूल खुली भूमि शीट नं-1 प्लाट 4/1 कुल क्षेत्रफल 35820 वर्गफुट भूमि में से 3000 वर्गफुट भूमि अनाथ एवं नवजात शिशुओं को मातृछाया प्रकल्प भवनप निर्माण के लिए तत्समय की गाईड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्रमांक एफ 4-166/सात-1/ 08 दिनांक 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	
36		27.09.08	राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्र0 4 में संशोधन एवं पुनरीक्षण बाबत् ।	राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 दिनांक 01.12.2004 में विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-128/ राजस्व/ राहत/ 2007, दिनांक 03.10.2008 द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया ।	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
37		27.09.08	<p>शासकीय नजूल भूमि जय अरुणोदय सेवा समिति कार्यालय भवन हेतु को स्थायी पट्टे पर आबंटित करने बाबत् ।</p> <p>निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक 4-167 / सात-1/07 दि002.08.08 में आंशिक संशोधन करते हुए जय अरुणोदय सेवा समिति लट्टीपारा कांकेर को कार्यालय भवन हेतु लट्टीपारा कांकेर में शासकीय भूमि शीट नंबर 21/ए प्लाट नं 7/1 रकबा 667 वर्गमीटर भूमि तत्समय की गाईड लाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।</p>	आदेश क्र0 4-167 / सात-1/07 दि0 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	
38		27.09.08	<p>भारत ऐल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वेदांता को कैंसर हास्पिटल निर्माण हेतु भूमि का आबंटन । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक 4-122/सात-1/08/08 दिनांक 19.09.08 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत ऐल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वेदान्ता गुप को कैंसर हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निर्माण हेतु ग्राम सड्डू तहसील व जिला रायपुर स्थित प0ह0न0 109 खसरा नं 99/1 रकबा 21.706 हे0 में से 40 एकड़ भूमि शासन के साथ हुए एमओयू एवं स्वास्थ्य विभाग के शर्तों के अतिरिक्त इस शर्त के साथ रूपये 1/- (एक) प्रतिवर्ष लीज रेंट पर आबंटित की जाये कि उक्त हास्पिटल की कुल बिस्तर क्षमता के 15 प्रतिशत तक की संख्या में बीपीएल परिवारों के मरीजों का तथा 5 प्रतिशत तक की संख्या में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुशंसित मरीजों का निः शिल्क उपचार किया जायेगा ।</p>	आदेश क्रमांक एफ 4-122/सात-1/08/08 दिनांक 3.10.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
39		13.10.08	सरस्वती शिक्षण संस्थान को ग्राम डंगनिया में भूमि आबंटन करने बाबत । निर्णय :- निर्णय लिया गया कि सरस्वती शिक्षण संस्थान ग्राम डंगनिया जिला रायपुर को शिक्षण संस्थान हेतु ग्राम डंगनिया प0ह0 नंबर 104 रा.नि. म. रायपुर में खसरा नंबर 12/1 का भाग रकबा 20414 वर्गफुट (0.189 हे0) भूमि 10 /-( दस रू0) पतिवर्गफुट की दर से प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए आबंटित की जाए तथा दाण्डिक प्रब्याजि माफ की जाए ।	आदेश क्रमांक 4-89/ सात-1/08 दि0 18.10.10	कार्यवाही पूर्ण	
40		13.10.08	नजूल भूमि आबंटन-क्षत्रिय समाज अम्बिकापुर जिला सरगुजा । निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-8/सात-1/06 दिनांक 03.05.07 में आंशिक संशोधन करते हुए क्षत्रिय समाज अम्बिकापुर जिला सरगुजा को सभा सील एवं भवन निर्माण हेतु अम्बिकापुर के अग्रसेन वार्ड स्थित भूमि खसरा नं 2843/2 में 13500 वर्गफुट भूमि दाण्डिक प्रब्याजि माफ करते हुए तत्समय की गार्ड लाईन का 25 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्र0 एफ 4-128/ सात-1/ 07 दि0 15.10.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
41		13.10.08	छ0ग0 राज्य अधिवक्ता संघ को ग्राम छतौना जिला बिलासपुर में भूमि आबंटन की मांग निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-51/ सात-1/07 दिनांक 10.10.08 में आंशिक संशोधन करते हुए छ0ग0 राज्य अधिवक्ता संघ को ग्राम छतौना, जिला बिलासपुर में कार्यालय एवं भवन निर्माण हेतु ग्राम छतौना पटवारी हल्का नं 22, तह0 तखतपुर, स्थिति भूमि खसरा नं0 610/15 रकबा 3.88 एकड़ में से तत्समय की गार्ड लाईन का 25 प्रतिशत प्रब्याजि एवं पर पांच प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्रमांक एफ 4-51/ सात-1/07 दिनांक 13.10.2008	कार्यवाही पूर्ण	
42		13.10.08	भाजपा कार्यालय बालोद जिला दुर्ग को भूमि आबंटन बाबत् । निर्णय :- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्र0 एु4-80/सात-1/04 दि0 26.6.08 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय जनता पार्टी बालोद जिला दुर्ग को कार्यालय भवन हेतु खसरा नंबर 1166 में 7702 वर्गफुट भूमि तत्समय की गार्डिन का 10 प्रतिशत प्रबयाजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।	आदेश क्र0 एफ 4-128/ सात-1/ 06 दि0 15.10.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
43		13.10.08	श्री डी0एस0 ठाकुर शीघ्रलेखक की राजस्व विभाग में सेवा संविलियन कार्यवाही का अनुमोदन करने बाबत्। निर्णय लिया गयाकि श्री डी.एस. ठाकुर शीघ्रलेखक वर्ग-2 रायपुर विकास प्राधिकरण की सेवा संविलियन संबंधी कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 03.12.02 को की जा चुकी है। अतः इसे विशेष प्रकरण मानते हुए संविलियन की कार्यवाही का अनुमोदन वित्त विभाग के अभिमत की शर्तों के अनुरूप किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए। भविष्य में इसे उदाहरण नहीं माना जावेगा।	एफ-63/राहत/2007 दिनांक 13.10.2008	कार्यवाही पूर्ण	
44		13.10.08	स्व0 श्री सूरज राम यादव, सहायक ग्रेड-3 तह0 अंतागढ जिला कांकेर की अनुपस्थिति अवधि का निराकरण:- निर्णय लिया गया कि स्व सरजूराम यादव सहायक ग्रेड -3 तहसील अंतागढ जिला कांकेर की दिनांक 3.2.1995 से 27.5.2005 (कुल 5 वर्ष 3 माह 2 दिन) तक अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस; कपमेदवदद्ध मान्य किया जाए।	आदेश क्र0 2-7/06/सात-2/ दि0 13. 10.10	कार्यवाही पूर्ण	
45		03 <sup>प</sup> 02 <sup>प</sup> 2009	अध्यक्ष साहू समाज अ0पुर जिला-सरगुजा के सार्वजनिक हित के उपयोग हेतु भूमि आबंटन निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दि 24.1.08 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-1 की कण्डिका -26 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए आवेदक संस्था को तत्समय की गार्ड लाईन का 10 प्र0श0 प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्र0श0 वार्षिक भू-भाटक लेकर भूमि अबांटित की जाए।	एफ 4-140/सात-1/05 दि 10.6.09	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
46		03 <sup>०</sup> 02 <sup>०</sup> 2009	<p>छ0ग0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ब्लैकड। का गठन । निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने बाबत् विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाए ।</p> <p>यह भी निर्णय लिया गया कि नवगठित प्राधिकरण के अशासकीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुरूप ही यात्रा भत्ता आदि देय होगा ।</p>	<p>विभागीय आदेश क्रमांक एफ-1-118/राजस्व/राहत/2007 दिनांक 22.05.09 द्वारा अधिसूचना जारी की गई ।</p>	कार्यवाही पूर्ण	
47		06 <sup>०</sup> 01 <sup>०</sup> 2009	<p>नजूल भूमि आबंटन – श्री रामदरबार समिति रायपुर नाका जिला राजनांदगांव:- निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 22.9.08 को आशिक संशोधन करते हुए तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-1 की कण्डिका 26 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए आवेदक संस्था को तत्समय की गार्ड लाईन का 10.पतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की जाए ।</p>	<p>आदेश क्रमांक एफ 4-91/सात-1/08 दिनांक 16.6.09</p>	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
48		08 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2009	राज्य में कम वर्षा से सुख स्थिति पर चर्चा निर्णय:- स्वास्थ्य यांत्रिकी, राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी जिलों का दौरा कर पेयजल एवं निस्तार के संबंध में समीक्षा करें तथा जिन जिलों में 50 प्रतिशत या उससे कम वर्षा हुई हो उन जिले को सूखा ग्रस्त घोषित करने की कार्यवाही की जाए ।	विभागीय पत्र दिनांक 10.08.09 द्वारा सभी जिला कलेक्टर एवं संबंधित विभागों को रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ करने एवं वर्तमान में जो बौनी हो गई है उसे बचाने के लिए उर्जा विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, कार्य योजना तैयार कर फसलों को बचाने की कार्यवाही करें । राज्य विद्युत मंडल यह सुनिश्चित करें कि सिंचाई हेतु किसानों को नियमित रूप से विद्युत प्रवाह मिलता रहे । पशु पालन विभाग को निर्देशित किया कि पशु चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करें । एवं पत्र दिनांक 10.08.09 द्वारा जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की नजरी आंकलन एवं राहत कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार करें । एवं विभागीय पत्र दिनांक 20.08.09 द्वारा राष्ट्रीय	कार्यवाही पूर्ण	
49		09 <sup>प</sup> 08 <sup>प</sup> 2009	अपील अभ्यावेदन श्री बी.आर. बुनकर, सेवा से पदच्युत तत्कालीन तह0 कुसमी जिला सरगुजा	एफ-2-21/सात-2/2002 दिनांक 03.10.09	कार्यवाही पूर्ण	
50		09 <sup>प</sup> 08 <sup>प</sup> 2009	विभागीय जांच विरुद्ध - श्री ए0के0 नाग, सेवा निवृत्त तहसीलदार-पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा निर्णय लिया गया कि श्री ए.के.नाग, सेवानिवृत्त तहसीलदार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत दण्डित करते हुए उनके पेंशन की राशि का 10: अंश 5 वर्ष तक रोका जाए ।	एफ-2-27/सात-2/2002 दिनांक 25.09.09	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
51		11 <sup>06</sup> 2009	छ0ग0 राज्य भण्डार गृह नियम को शासकीय भूमि आबंटन के अधिकार कलेक्टर्स को प्रदान करने के संबंध में । निर्णय लिया गया कि राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा नये गोदाम के निर्माण हेतु प्रचलित प्रब्याजि दर के 75 प्रतिशत तथा सामान्य भू-भाटक का 50 प्रतिशत की दर से शासकीय भूमि आबंटनर के अधिकार जिला कलेक्टर्स को प्रत्यायोजित किये जाए ।	एफ 4-164/सात-1/09 दिनांक 29.3.11	कार्यवाही पूर्ण	
52		11 <sup>06</sup> 2009	राजपुत निःस्वार्थ सेवा संघ को ग्राम सरोना में सामाजिक कार्य के लिए नाम मात्र के शुल्क 1 रु पर भूमि आबंटन बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि राजपुत निःस्वार्थ सेवा संघ को सामाजिक कार्य हेतु ग्राम सरोना प0ह0न0 104 स्थित, खसरा नंबर 245/1 का कुल रकबा 5.925 हे0 में से 1.524 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2009-10 की गार्ड लाईन के 10 प्रतिशत प्रब्याजि राशि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक प्राप्त कर स्थायी पट्टे पर आबंटित की जाय ।	एफ 4-150/सात-1/07 दि0 16.11.09	कार्यवाही पूर्ण	
53		01 <sup>04</sup> 2010	भाजपा मुंगेली कार्यालय भवन हेतु निःशुल्क नजूल भूमि आबंटन बाबत् । निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा इस प्रकार के अन्य संस्थाओं को जिस दर पर प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की गई है तदनुसार भारतीय जनता पार्टी मुंगेली के कार्यालय भवन हेतु उसी दर पर प्रब्याजि एवं भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की जाएं	एफ 4-27/सात-1/08 दि.29. 3.10	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
54		30.01.10	ग्राम-आमदी तह0 व जिला दुर्ग प0ह0नं0 19, खसरा नं-1 एवं खसरा नं0 2 का टुकड़ा 70.14 हे0 भूमि आवासीय व्यावसायिक एवं शैक्षणिक भू-खण्डों का भिलाई इस्पात संयंत्र के आबंटतियों को शासन द्वारा पट्टा आबंटन निर्णय:- विभाग द्वारा प्रकरण वापस लिया गया।		प्रकरण में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।	
55		03 <sup>प</sup> 09 <sup>प</sup> 2010	स्नातक पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक सेवा संवर्ग से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर चयन हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में निर्णय लिया गया कि स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक संवर्ग से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर चयन हेतु आयु सीमा में छूट हेतु विभागीय संक्षेपिका के पैरा-5 में उल्लेखित प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाए।	एफ 2-61/सात-2/07 दि0 17.03.10	कार्यवाही पूर्ण	
56		10 <sup>प</sup> 11 <sup>प</sup> 2010	स्नातक पटवारी राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक सेवा संवर्ग से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नायब तहसीलदार के रिक्त पद पर प्रथम बार चयन हेतु आयु सीमा में छूट के संबंध में निर्णय लिया गया कि आगामी सीमित प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षक एवं लिपिक सेवा संवर्ग से नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा का बंधन समाप्त किया जाय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाय।	एफ 2-61/सात-2/07 दि0 22.10.10	आदेश जारी। परीक्षा कार्यवाही प्रक्रियाधीन।	

1	2	3	4	5	6	7
57		03 <sup>09</sup> 2010	<p>औद्योगिक नीति 2009-14 के संदर्भ में राज्य के आदर्श पुनर्वास नीति 23007 की कंडिका क्रमांक 4.1.5 क में संशोधन बाबत् ।</p> <p>निर्णय लिया गयाकि छ0ग0 राजपत्र में प्रकाशित संकल्प क्रमांक एफ 7-97/पुन नीति/07 दिनांक 23.02.07 द्वारा आदर्श पुनर्वास नीति-07 यथा संशोधित के कंडिका क्रमांक 4.1.5 क में वर्णित भूमि-स्वामी को प्राप्त होने वाली न्यूनतम कुल राशि पड़त भूमि हेतु रूपये 50 हजार प्रति एकड़ के स्थान पर 6 लाख रूपये प्रतिएकड़ असिंचित भूमि हेतु रूपये 75 हजार के स्थान पर 8 लाख रूपये प्रति एकड़ तथा सिंचित दो फसली भूमि हेतु रूपये 1 स्थान पर रूपये 10 लाख प्रति एकड़ प्रतिस्थापित किये जाए ।</p>	आदेश क0 7-97/पुन नीति/07 दि0 19.3.10	कार्यवाही पूर्ण	
58		28.04.10	<p>वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र निर्माण के लिए वेदान्त मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन को नया रायपुर में भूमि का आबंटन तथा निर्धारित लीज रेंट की पुष्टि बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि</p> <p>1. दिनांक 17.09.09 को राज्य शासन द्वारा सचिव छ0ग0 शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा वेदान्त मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन के बीच संपादित एमओरयू की शर्तों के अनुसार छ0ग0 विशेष क्षेत्र (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 2008 के नियम 14 के उप नियम 1 के अंतर्गत नया रायपुर में उच्च स्तरीय कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए वेदांत मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन को 50 एकड़ भूमि नया रायपुर में एक रूपया प्रतिवर्ष टोकन लीज रेंट पर किये गये भूमि आबंटन की पुष्टि की जाय ।</p> <p>2. यह भी निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-4-122/सात-3/08 दिनांक 1909.2008 द्वारा वेदान्त गुप को उक्त प्रयोजन हेतु ग्राम सड़डू में आबंटित</p>	आदेश क0 एफ 4-122/सात-1/08 दि0 25.5.10	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
			40 एकड़ भूमि के आबंटन संबंधी आदेश को निरस्त किया जाये ।			
59		28.04.10	छात्रावास हेतु भूमि की मांग-नांदगांव शिक्षा मण्डल जिला - राजनांदगांव:- निर्णय लिया गया कि छात्रावास भवन निर्माण हेतु नांदगांव शिक्षा मण्डल राजनांदगांव को प्रश्नाधीन भूमि पर संस्था का अतिक्रमण होने के कारण अधिरोपित दाण्डिक प्रब्याजि माफ करते हुए जिस दिनांक से भूमि आबंटित की गई थी उसी दर पर 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उसका 5प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाय ।	एफ 4-88/सात-1/ 05/ दि0 4.10.10	कार्यवाही पूर्ण	
60		28.04.10	भूमि आबंटन - जय अरुणोदय सेवा समिति कांकेर निर्णय:- निर्णय लिया गया कि जय अरुणोदय समिति कांकेर को प्रश्नाधीन भूमि पर संस्था का अतिक्रमण होने के कारण अधिरोपित दाण्डिक प्रब्याजि माफ करते हुए जिस दिनांक से भूमि आबंटित की गई थी उसी दर पर 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उसकी पांच प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	एफ 4-167/सात-1/07 दिनांक 11.5.10	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
61		26.05.10	भारतीय जनता पार्टी मुंगेली के कार्यालय भवन हेतु नजूल भूमि आबंटन की मांग जिला बिलासपुर निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुंगेली के कार्यालय भवचन हेतु ग्राम मुंगेली में सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 2 स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 38 प्लॉट नंबर 8 में से 2925 वर्गफुट भूमि वर्ष 2008-09 की गार्ड लाईन अनुसार 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।	एफ 4-27 / सात-1 / 08 दि.29.3.10	कार्यवाही पूर्ण	
62		26.05.10	भाजपा कार्यालय बालोद जिला दुर्ग को भूमि आबंटन बाबत् । निर्णय :- निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के आदेश क्र 0 एफ 4-80 / सात-1 / 04 दि 13.10.2008 द्वारा आबंटित भूमि वर्ष 2006-07 की गार्ड लाईन के अनुसार 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाय ।	एफ 4-31 / सात-1 / 09 दि 28.5.10	कार्यवाही पूर्ण	
63		26.05.10	भारतीय जनता पार्टी छोगो को प्रदेश कार्यालय हेतु ग्राम बोरियाकला रायपुर में शासकीय भूमि आबंटन बाबत् । निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी छोगो के प्रदेश कार्यालय हेतु ग्राम बोरियाकला प०ह०न० 117 रानिम. रायपुर तह० व जिला रायपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 1435 / 1 का रकबा 1.214 हे० एवं खसरानंबर 1435 / 2 का रकबा 0.607 हेक्टेयर कुल रकबा 1.821 हे० भूमि व।र्ष 2009-10 की गार्ड लाईन के दर का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाए ।	आदेश क्र 0 एफ 4-32 / सात-1 / 10 दि 28.5.10	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
64		26.05.10	नवभारत प्रेस बिलासपुर को भूमि आबंटन बाबत् निर्णय लिया गया कि नवभारत बिलासपुर को ग्राम जूना जिला बिलासपुर में खसरा नंबर 533/2 तथा 552 कुल रकबा 0.57 एकड़ भूमि हेतु मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक 4005/689/88/सात/सात-2 बी, दिनांक 22.11.1988 में उल्लेखित रूपये 1.00 लाख प्रति एकड़ की दर पर की जाए तथा अग्रिम आधिपत्य की तिथि से वर्तमान समय तक 10 प्रतिशत साधारण ब्याज जोड़कर प्रब्याजि निर्धारित की जाए एवं उस पर 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक लेकर भूमि आबंटित की जाए।	आदेश क्र0 एफ 4-141/सात-1/ 07 दि0 28.05.10	कार्यवाही पूर्ण	
65		21.06.10	स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स शासकीय नजूल भूमि के बदले अन्य भूमि आबंटन-ललित तिवारी, जिला रायपुर निर्णय लिया गया कि श्री ललित तिवारी, सिविल लाईन रायपुर को बुढ़ापारा स्थित ब्लाक नंबर 69 प्लॉट नंबर 6/2 का रबा 4710 वर्गफुट एवं ब्लाक नंबर 70 प्लॉट नंबर 7 का रकबा 10279 वर्गफुट कुल रकबा 14989	आदेश क्र0 4-6/सात-1/08 दिनांक 23. 6. 2010 आदेश पूर्ण	कार्यवाही पूर्ण	
66		21.06.10	रायपुर में श्री अरविंद अध्ययन केन्द्र के भवन निर्माण हेतु ग्राम कचना जिला रायपुर में भूमि आबंटन कराने बाबत् निर्णय:- निर्णय लिया गया कि अरविंद सोसायटी को अध्ययन केन्द्र निर्माण हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-126/सात-1/08 दिनांक 01.04.10 द्वारा आबंटित भूमि वर्ष 2009-10 की गार्ड लाइन के अनुसार 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाय ।	एफ 4-126/सात-1/08 दि0 28.1.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
67		21.07.10	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के अंतर्गत आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में श्री एन.व्ही. देश पाण्डे की संविदा नियुक्ति में वृद्धि निर्णय लिया गया कि छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2004 के नियम 7 ख को शिथिल करते हुए श्री एन.व्ही. देश पाण्डे की संविदा नियुक्ति अवधि में दो वर्ष की वृद्धि की जाय	एफ 1-41/राजस्व/आपदा/10/ 639 दिनांक 28.07.10	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
68		21.07.10	भारतीय जनता पार्टी को ग्राम चीतलंका जिला दंतेवाड़ा में जिला कार्यालय भवन हेतु भूमि आबंटन बाबत निर्णय लिया गया कि भाजपा को ग्राम चितालंका जिला दंतेवाड़ा में पार्टी कार्यालय भवन निर्माण हेतु प0ह0न0 3ब स्थित खसरा नं 117/2, रकबा 0.50 एकड़ शासकीय भूमि वर्ष 2010-11 की गाईड लाईन के अनुसार 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्रमांक एफ 4-51/सात-1/11 दिनांक 26.7.2011	कार्यवाही पूर्ण	
69		21.07.10	भूमि आबंटन भाजपा पार्टी को जिला नारायणपुर में पार्टी कार्यालय भवन निर्माण हेतु । निर्णय लिया गया कि भाजपा को नारायणपुर में पार्टी कार्यालय भवन निर्माण हेतु प0ह0न0 12 खसरा नं 669/1, रकबा 0.20 एकड़ शासकीय भूमि वर्ष 2010-11 की गाईड लाईन के अनुसार 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्रमांक एफ 4-55/सात-1/11 दिनांक 26.7.2011	कार्यवाही पूर्ण	
70		21.07.10	भारतीय जनता पार्टी बलौदाबाजार जिला रायपुर को आबंटित भूमि प्रब्याजि एवं भू-भाटक राशि जमा हेतु समयावधि बढ़ाने बाबत । निर्णय लिया गया कि भाजपा बलौदाबाजार जिला रायपुर को विभागीय आदेश क्र0 4-80/ सात-1/06 दि0 25.07.06 द्वारा आबंटित भूमि वर्ष 2006-07 की गाईड लाईन के अनुसार 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्र0 4-80/ सात-1/06 दि0 29.7.08	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
71		08 <sup>th</sup> 12 <sup>th</sup> 2010	वेदान्त मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन हेतु ग्राम समनापुर जिले कबीरधाम में केन्सर हास्पिटल हेतु स्थायी लीज पर 1 रूप्ये टाकन राशि पर भूमि आबंटन:- निर्णय :- निर्णय लिया गया कि वेदान्त मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन वेलफेयर बालको नगर कोरबा को केन्सर हास्पिटल हेतु ग्राम समनापुर जिला कबीरधाम स्थित खसरा नंबर 202/1 रकबा 5.45 एकड में से 1.05 एकड शासकीय भूमि विभागीय आदेश क्र0 एफ 4-22/सात-1/09 दि0 1.4.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए रूपये 1/- टोकन राशि पर आबंटित की जाए। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।	एफ 4-22/सात-1/09 दि0 20.8.10	कार्यवाही पूर्ण	
72		14.09.10	जे.एम. नेलसन आ0 स्व0 बेजामिन नेलसन ग्राम बागडुमर जिला दुर्ग को मुर्ति कला कार्य हेतु भूमि का आबंटन । निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा जारी आबंटन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2005-06 की गार्डललाईन के अनुसार निर्धारित प्रब्याजि राशि को 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्र0 एफ 4-122/सात-1/05 दिनांक 25.9.10	कार्यवाही पूर्ण	
73		14.09.10	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी.सी नंबर 8519/2006 में पारित आदेश दिनांक 29.09.09 के निर्देशानुसार सार्वजनिक मार्गों सार्वजनिक उद्यानों एवं सार्वजनिक सीमों पर अनाधिकृत रूप से धार्मिक संरचना का निर्माण में रोक लगाने संबंधी नीति विषयक । निर्णय:- विभाग द्वारा प्रकरण वापस लिया गया ।	एफ क्र0 4-195/सात-1/09 दिनांक 25.10.10	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
74		14.09.10	नवभारत प्रेस रायपुर को भूमि आबंटन बाबत निर्णय लिया गया कि विभागीय आदेश दिनांक 11.12.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए नवभारत प्रेस रायपुर को मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 27.10.1988 द्वारा रायपुर स्थित ब्लाक नंबर 09, प्लॉट नं. 1 में से 60750 वर्गफुट भूमि हेतु निर्धारित प्रब्याजि राशि रूपये 139725/- एवं वार्षिक भू-भाटक राशि रूपये 10479/- पर अग्रिम आधिपत्य देने की तिथि से आबंटित की जाये ।	आदेश क्र० एफ 4-117/ सात-1/ 07 दि० 17.9.10	कार्यवाही पूर्ण	
75		14.09.10	भूमि आबंटन-अधोर गुरुपीठ न्यास बनौरा आश्रम को शिवरीनारायण तह० नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा । निष्प्रय:- निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा जारी आबंटन आदेश दिनांक 18.09.08 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2008-09 के गार्ड लाईन के दर से निर्धारित प्रब्याजि पर अधिरोपित दाण्डिक प्रब्याजि राशि माफ किया जाये ।	एफ 4-96/ सात-1/07 दिनांक 22.9.10	कार्यवाही पूर्ण	
76		14.09.10	नजूल भूमि आबंटन - भाजपा कार्यालय भवन निर्माण हेतु जिला जांजगीर चांपा निर्णय :- निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जिला जाजगीर-चांपा को कार्यालय भवन हेतु जांजगीर-चांपा स्थित ग्राम खोकसा प०इ० नंबर 42 रकबा 0.45 एकड (19620 वर्गफुट ) भूमि वर्ष 2008-09 की गार्ड लाईन की दर से प्रब्याजि का 10 प्रतिशत एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक पर आबंटित की जाए ।	एफ क्र. 4-20/ सात-1/06 दि० 23.10.10	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
77		30.11.10	छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम 1934 में संशोधन बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभागीय संक्षेपिका के साथ संलग्न छ0ग0 साहूकारी संशोधन विधेयक 2010 का अनुमोदन किया जाये तथा विधान सभा के आगामी सत्र में इस विधेयक को पुनः स्थापित करने हेतु समस्त अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है ।	एफ 129/4/21/अ प्र स ग्र/2011 दि0 6.1.2011	कार्यवाही पूर्ण	
78		01 <sup>प</sup> 06 <sup>प</sup> 2011	खण्डेलवार सेवा समिति रायपुर को ग्राम अमलीडीह में भूमि आबंटन बाबत् । निर्णय लिया गया कि जारी आबंटन आदेश दिनांक 03.11.09 द्वारा खंडलेवाल सेवा समिति, रायपुर को धर्मशाला निर्माण हेतु ग्राम अमलीडीह स्थित शासकीय भूमि प0ह0नं0 14 रकबा 0.242 हे0 भूमि वर्ष 2009-10 की गार्ड लाईन अनुसार तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र 4.1 की कंडिका 26 दो के प्रावधानांतर्गत आबंटन की स्वीकृति प्रदान की गई थी में आंशिक संशोधन करते हुए आवेदित संस्था को उक्त भूमि 08-09 के गार्ड लाईन के निर्धारित दर से 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।	आदेश क्र0 एफ 4-130/सात-1/08 दिनांक 9.1.08	कार्यवाही पूर्ण	
79		15.03.11	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभागीय संक्षेपिका के साथ संलग्न "छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59, 172, 241, 247, 248, 250 एवं 253 में प्रस्तावित संशोधन का अनुमोदन किया जाये तथा विधान सभा के चालू सत्र में इस संशोधन विधेयक को पुनः स्थापित करने हेतु समस्त अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत किया जाये ।	अधिसूचना क्र0 3379/डी/119/221/अ प्रा /श/ग/ छ0ग0 /2011 दिनांक 11.5.2011	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
80		13.04.11	अनुशासनात्मक कार्यवाही बाबत श्री पी0एन0 साय तत्कालीन नायब तहसीलदार नारायणपुर वर्तमान सेवानिवृत्त नजूल तहसीलदार जिला कोरबा निर्णय लिया गया कि श्री पी.एन.साय, तत्कालीन नायब तहसीलदार, नारायणपुर वर्तमान सेवानिवृत्त नजूल तहसीलदार जिला कोरबा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के तहत उनकी पेंशन राशि में से 10: राशि 3 वर्ष तक रोकी जाए।	एफ-2-15/सात-2/2005 दिनांक 19.05.11	कार्यवाही पूर्ण	
81		13.04.11	भारतीय जनता पार्टी के भाजपा इकाई जिला रायगढ़ के कार्यालय भवन हेतु भूमि आबंटन निर्णय:- निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के भाजपा इकाई जिला रायगढ़ के कार्यालय भवन हेतु प्रश्नाधनी भूमि विभागीय आदेश क्र 4-126/सात-1/07 दि0 16.11.10 में आंशिक संशोधन करते हुए तत्समय की गाइडलाईन का 10 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 5 प्रतिशत भूभाटक लेकर आबंटित की जाये।	आदेश क्र 4-126/सात-1/07 दि0 26.4.11	कार्यवाही पूर्ण	
82		13.04.11	सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्था को ग्राम सेमरा जिला रायपुर में भूमि आबंटन जिला रायपुर निर्णय:- निर्णय लिया गया कि सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्था को ग्राम सेमरा जिला रायपुर को प्रश्नाधीन भूमि विभागीय आदेश क्र 0 एफ 4-83/सात-1/10 दि0 30.08.10 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्धारित प्रब्याजि राशि का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक पर आबंटित की जाये।	आदेश क्र 0 एफ 4-83/सात-1/10 दि0 25.4.11	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
83		13.04.11	भूमि आबंटन—जय अरुणोदय सेवा समिति कांकेर प्रब्याजी एवं भू-भाटक माफ करने बाबत् । निर्णय लिया गया कि जय अरुणोदय सेवा समिति कांकेर को प्रश्नाधीन भूमि विभागीय आदेश क्रमांक 4-167/सात-1/07 दि० 11.05.10 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्धारित प्रब्याजि राशि का 10 प्रतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक पर आबंटित की जाये ।	आदेश क्रमांक 4-167/सात-1/07 दि० 3.5.2011	कार्यवाही पूर्ण	
84		05/07/2011	अध्यक्ष श्री बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट डोंगरगढ जिला राजनांदगांव द्वारा दर्शनार्थियों के सुविधा हेतु धर्मशाला एवं हाल बनाने हेतु डोंगरगढ स्थित नीचे मंदिर के सामने स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 5942 रकबा 01 एकड भूमि के आबंटन पर निर्धारित प्रब्याजी राशि में अधिक से अधिक छूट प्रदान करने बावत:- निर्णय:- निर्णय लिया गया कि श्री बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट डोंगरगढ जिला राजनांदगांव द्वारा दर्शनार्थियों की सुविधा के लिये धर्मशाला एवं स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 594 रकबा 4.11 एकड में से 1 एकड भूमि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-235/सात-1/10 दिनांक 16.11.2010 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्ष 2010-11 की गार्ड लाईन के अनुसार निर्धारित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत प्रब्याजि राशि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भूमि भाटक पर आबंटित की जाजाड। हाल बनाने हेतु डोंगरगढ स्थित नीचे मंदि के सामने हाल बनाने हेतु हाल बनाने हेतु	आ० क्र० 4-235/सात-1/10 दि० 25.5.11	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
85		18.05.11	भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय राजनांदगांव को भूमि आबंटन मोहल्ला नंदई शहर राजनांदगांव स्थित खसरा नंबर 907/1 रकबा 1000 वर्गफुट:- निर्णय:- निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जिला राजनांदगांव को मोहल्ला नंदई शहर राजनांदगांव स्थित शासकीय नजूल भूमि खसरा नंबर 907/1 में से रकबा 1000 वर्गफुट भूमि विभागीय आदेश क्रमांक एफ 4-86/सात-1/ 10 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्धारित प्रब्याजि राशि का 10.पतिशत प्रब्याजि तथा उस पर 5 प्रतिशत वार्षिक भू-भाटक पर आंबंटित की जाये तथा आवेदक संस्था का अतिक्रमण होने से दण्ड स्वरूप अंधिरोपित अतिरिक्त प्रबयाजि की राशि माफ की जाए।	आदेश क्र0 एफ 4-86/ सात-1/ 10 दि0 20.5.11	कार्यवाही पूर्ण	
86		06/10/2011	श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली दामखैड के ग्राम भोथली तह0 पाटन जिला दुर्ग स्थित निजी भूमि का शासकीय भूमि से अदला बदली बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामखेडा के निजी स्वामित्व की ग्राम भोथली प0ह0नं0 4, खसरा नं 282, रकबा 0.45 हे0 तथा खसरा नंबर 302/3 का टुकड़ा 0.17 हे0 कुल रकबा 0.62 हे0 निजी भूमि को ग्राम भोथली स्थित शासकीय भूमि खसरा नं0 373 रकबा 0.62 हे0 भूमि निजी स्वामिस्व की भूमि एवं शासकीय भूमि के बाजार भाव के मूल्य की अंतर राशि न लेते हुए अदला बदली की अनुमति प्रदान की जाये तथा ग्राम भोथली प0ह0न0 4 खसरा नं 282 रकबा 0.45 हे0 तथा 302/3 का टुकड़ा 0.17 हे0 कुल रकबा 0.6 हे0 निजी भूमि को राजस्व अभिलेखों में घास मद दर्ज की जाये ।तह0 पाटन जिला दुर्ग	एफ 4-110/सात-1/2010 दि0 27.1.11	कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
87		06 <sup>प</sup> 10 <sup>प</sup> 2011	श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली दामखैड़ के ग्राम अमलेश्वर तह0 पाटन जिला दुर्ग स्थित निजी भूमि का ग्राम अमलेश्वर स्थित शासकीय भूमि से अदला बदली बाबत् । निर्णय :- चर्चा उपरांत प्रकरण वापस लिया गया ।	आदेश क्रमांक 4-88/सात-1/10 दिनांक 13.6.2011	कार्यवाही पूर्ण	
88		24.08.11	09 नये जिले का गठन निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभागीय संक्षेपिका अनुसार प्रस्तावित 09 नवीन जिलों का गठन किया जाये ।	अधिसूचना क्रमांक एफ-6-292/सात-3/2011 दिनांक 27.12.2011	कार्यवाही पूर्ण	
89		22.09.11	दैनिक अग्रदूत समाचार पत्र को अतिरिक्त भूमि का आबंटन जिला रायपुर निर्णय लिया गया कि रजबंधा मैदान रायपुर स्थित नजूल भूमि ब्लाक नंबर 09 प्लॉट नंबर 1/12 रकबा 37863 में से 4056 वर्गफुट अतिरिक्त भूमि दैनिक अग्रदूत समाचार पत्र का वर्ष 2010-11 की गार्डर्ड लाईन अनुसार 25 प्रतिशत प्रब्याजि एवं उस पर 7	आदेश क्र0 एफ 4-110/सात-1/07 दि0 22.9.11	कार्यवाही पूर्ण	
90		22.06.11	बाढ़ आपदा के संबंध में ।	बाढ़ आपदा के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मंत्रिपरिषद अवगत हुआ ।	कार्यवाही पूर्ण	
91		22.07.11	प्रधान संपादक दैनिक अग्रदूत सूचार पत्र को अतिरिक्त भूमि आबंटन जिला रायपुर निर्णय लिया गया कि रजबंधा मैदान रायपुर स्थित नजूल भूमि ब्लाक नंबर 09 प्लॉट नंबर 1/12 रकबा 37863 में से 4056 वर्गफुट अतिरिक्त भूमि दैनिक अग्रदूत समाचार पत्र को वर्ष 2010-11 की गार्डर्ड लाईन के अनुसार 25 प्रतिशत प्रब्याजि लेकर एवं 7.5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर आबंटित की जाये ।		कार्यवाही पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7
92		26.11.11	श्री एच0सी0 डेहरिया सेवा निवृत्त नायब तहसीलदार बागबाहरा जिला महासमुंद के पेंशन रोकने बाबत् निर्णय लिया गया कि श्री एच.सी.डेहरिया, नायब तहसीलदार (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम-9 के अंतर्गत पेंशन स्थायी रूप से रोका जाए।	एफ-7-50/सात-1/1998 दिनांक 16.12.11	कार्यवाही पूर्ण	
93		26.11.11	श्री जोगी राम राठिया तत्कालीन नायब तहसीलदार कोरिया वर्तमान में सेवा निवृत्त के विरुद्ध विभागीय जांच पश्चात् दण्डादेश। निर्णय लिया गया कि श्री जोगीराम राठिया, नायब तहसीलदार (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम-9 के तहत पेंशन से 50: राशि स्थायी रूप से अनुकरणीय कटौती किया जाए।	एफ-8-17/सात-4/91 दिनांक 16.12.11	कार्यवाही पूर्ण	
94		26.11.11	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बस्तर एवं सरगुजा संभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को जिले के स्थानीय निवासियों से भरे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग में तृतीय(कार्यपालिक पदों को छोड़कर) एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को जिले के स्थानीय निवासियों से भरने हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान की जाए। 2. विभाग में ऐसे राज्य स्तरीय पद जिन्हें जिला स्तरीय घोषित करना उपयुक्त हो, को विभाग द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्यवाही स्वयं अपने स्तर से करें।	एफ-1-19/सात-3/2007	भर्ती नियम में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	

1	2	3	4	5	6	7
95		17.12.11	<p>छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में संशोधन बाबत् । निर्णय:- निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा प्रस्तावित छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 में संशोधन आवश्यक नहीं है तथा धारा 237 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:- (2) मूल अधिनियम की धारा 237 की उप धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-</p>	<p>अधिनियम क्र0 314/डी /16/21/अ/प्र/ ग/12 दि0 9.1.12 एफ-6-228/सात-3/2010दि नांक 16.01.2012</p>	कार्यवाही पूर्ण	
			<p>“(3) इस संहिता के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कलेक्टर उप धारा -1 के खण्ड (ख) में उल्लेखित भूमि को उस ग्राम की कुल कृषि भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखते हुए उप धारा 1 के खण्ड ख के आधिक्य की भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए, यथा कृषि, आबादी सड़क निर्माण, तालाब, अस्पताल, शाला, कॉलेज, पावर स्टेशन, गौशाला, नहर, घटकारों द्वारा मिट्टी का त्खनन, । अन्य किसी सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं, जैसा कि राज्य शासन द्वारा अवधारित किया जाए, के लिए व्यपवर्तित कर सकेगा ।”</p>			

1	2	3	4	5	6	7
			<p>(3) मूल अधिनियम की धारा 237 की उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-  “(4) जब उप धारा-1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रखी गई भूमि का व्यपवर्तन शासकीय की अथवा शासन द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए अपरिहार्य हो जाए, किन्तु जो उप धारा (3) में सम्मिलित नहीं है, तब कलेक्टर, स्वयं को संतुष्ट कर लेने के उपरांत कि ऐसे निपस्तार अधिकारों की पूर्ति हेतु समान क्षेत्र की वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करा दी गई है , भूमि के ऐसे प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तन का युक्ति-युक्त आदेश पारित कर सकेगा ।”</p>			
			<p>उपर्युक्त संशोधनों के साथ “छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2011” का अनुमोदन किया जाए । विधान सभा के चालू सत्र में इस विधेयक को पुनः स्थापित करने हेतु समस्त अनुशांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत किया जाए ।</p>			